महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-निरीक्षण/2020/665-825 दिनांक:- 21.11.2020

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,प्रभाराधिकारी
केन्द्रीय जिला/उच्च सुरक्षा कारागृह/,महिला बंदी सुधारगृह
उप कारागृह,/बाल बंदी सुधार गृह,राजस्थान

विषय:-जेलों में अवाँछित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी तथा जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध **''ऑपरेशन फ्लश आउट''** का प्रारम्भ

महोदया/महोदय,

जेलों में मोबाईल फोन,चार्जर,अफीम,चरस आदि मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट ,जर्दा, गुटका एवं अन्य अवांछनीय निषिद्ध वस्तुओं का तस्करी के माध्यम से प्रवेश विभाग के लिए एक चिन्ता का विषय है। इस प्रकार की घटनाओं से विभाग की छवि भी धूमिल होती है तथा बन्दियों को जेल से आपराधिक गतिविधियों के संचालन में सहायकता मिलती है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि इस प्रकार की अवांछनीय वस्तुओं की जेलों में आमद जेल विभाग के अधिकारियों,कर्मचारियों तथा बाह्य सुरक्षा हेतु तैनात 13वीं बटालियन आर.ए.सी. की मिलीभगत, शिथिलता अथवा लापरवाही के कारण ही संभव है।

इसी प्रकार जेल परिसर से कई कैदियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों का संचालन होना भी सामने आया है। जिससे प्रदेश की अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। अत: आवश्यकता है कि इस प्रकार की गतिविधियों को समूल समाप्त करने के लिए सभी जेल अधिकारी,कर्मचारीगण प्रतिबद्ध होकर एक अभियान के रूप में कार्य करें।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जेल विभाग की समस्त 145 जेलों में दिनांक **21/11/2020 से 31/12/2020 तक ''ऑपरेशन फ्लश आउट''** के नाम से एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया जाता है।

इस अभियान के अन्तर्गत राज्य की समस्त जेलों की सघन तलाशी समय-समय पर आकस्मिक रूप से दिन अथवा रात में ली जावे तथा अवांछित वस्तुओं की बरामदगी कर संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये।

इसी प्रकार जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों को समूल नष्ट करने की दृष्टि से प्रभावी कार्यवाही की जावे। सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की समय-समय पर संपर्क सभा ली जाकर यह अवगत करा दिया जाये कि राज्य सरकार की **'जीरो टॉलरेन्स'** की नीति की पालना में **भ्रष्टाचार, मिलीभगत तथा आपराधिक गतिविधियां** कतई बर्दाश्त नहीं की होंगी। **There will be Zero Tolerance for Corruption,Connivance**

and Criminal activities of the jail staff. इस ''ऑपरेशन फ्लश आउट'' के अन्तर्गत इस प्रकार की गतिविधियों के लिप्त जेल के स्टाफ को भी चिन्हित कर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये/प्रस्तावित की जाये।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जेल विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा जेल विभाग के साथ सुरक्षा ड्यूटी हेतु तैनात 13वीं बटालियन आर.ए.सी. के अधिकारी/कर्मचारीगण पूर्ण उत्साह,लगन, परिश्रम, ईमानदारी तथ कर्तव्यनिष्ठा से इस अभियान की पालना में कार्यवाही करेंगे तथा विभाग की छवि को पूर्णत: परिवर्तित करने की दिशा में कार्य करेंगे।

उक्त अभियान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पुलिस एवं एस.ओ.जी. की सहायता ली जावे।

भवदीय,

21.11.2020

(राजीव दासोत)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:-

1- प्रमुख शासन सचिव,गृह विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2- प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्य मंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर।
3- विशिष्ठ शासन सचिव,माननीय मुख्य मंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर।
4- महानिदेशक पुलिस,राजस्थान,जयपुर।
5- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी.,राजस्थान,जयपुर।

21.11.2020

महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि-निम्नांकित को पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-महानिरीक्षक पुलिस कारागार,राजस्थान,जयपुर।
2-महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान,जयपुर।
3-उप महानिरीक्षक कारागार रेंज,जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4-कमाण्डेन्ट,13वीं बटालियन,आर.ए.सी.,जयपुर।

21.11.2020

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर